मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक एफ 7–19/2016/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक **02 सित.** 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः–कीर, मीना एवं पारधी जाति के कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने के संबंध में।

––0––

भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग–2 खंड–1, दिनांक 08.01.2003 में प्रकाशित भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.01.2003 के द्वारा मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची में अनुक्रमांक 21, 32 एवं 39 पर अंकित जातियों क्रमशः कीर, मीना एवं पारधी को विलोपित किया गया है । इसके पूर्व यह जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित थी ।

2/ राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.01.2003 के पूर्व तक कीर (भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में), मीना (विदिशा जिले की सिरोंज उपखंड में) एवं पारधी (भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में) जाति के जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में प्रवेश पा चुके हैं उनकी सेवा प्रभावित नहीं होगी किन्तु भविष्य में उन्हें अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाएगा और इस तिथि के बाद उन्हें आरक्षण का लाभ भी नहीं दिया जाएगा।

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक एफ 7–19/2016/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक **02 सित.** 2016
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः–कीर, मीना एवं पारधी जाति के कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने के संबंध में।

--0--

भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग–2 खंड–1, दिनांक 08.01.2003 में प्रकाशित भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.01.2003 के द्वारा मध्यप्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची में अनुक्रमांक 21, 32 एवं 39 पर अंकित जातियों क्रमशः कीर, मीना एवं पारधी को विलोपित किया गया है । इसके पूर्व यह जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित थी ।

2/ राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.01.2003 के पूर्व तक कीर (भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में), मीना (विदिशा जिले की सिरोंज उपखंड में) एवं पारधी (भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों में) जाति के जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ प्राप्त कर शासकीय सेवा में प्रवेश पा चुके हैं उनकी सेवा प्रभावित नहीं होगी किन्तु भविष्य में उन्हें अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाएगा और इस तिथि के बाद उन्हें आरक्षण का लाभ भी नहीं दिया जाएगा।

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

letter-2-2016.doc

पृ. क्रमांक एफ 7-19/2016/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 02 सित. 2016

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल.
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल.
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय,म.प्र.शासन, भोपाल.
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल.
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल.
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
14. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद-500082।
15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
17. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
20. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय,
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
22. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी संबंधितों को अवगत कराएं।

(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग